



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/ 3965-3997 दिनांक: 08/03/2023

जिला कलक्टर,

एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)

समस्त राजस्थान।


विषय:- बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 67(ii) के अनुसरण में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY-U के क्रियान्वयन बाबत।

प्रसंग:- विभागीय संमसंख्यक पत्राक 29390-422 दिनांक 06.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न कर भिजवाई गई थी। बजट घोषणा 6/2022-23 हेतु जारी गाईड लाईन के पैरा 3(i) में शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका सुनिश्चित करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के बिन्दु सं. 3 (i) में 100 दिवस गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने के स्थान पर 125 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाता है। उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 172300233 दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्रदान सहमति के अनुसरण में दी जाती है।

यह संशोधन दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।


(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/3998-4254 दिनांक: 08/03/2023
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3), वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, जयपुर, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक (तकनीकी), IRGY(U) निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।

7. संयुक्त निदेशक (IT) निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को भिजवाकर लेख हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान बाबत्।
8. क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण/अधिकाधी अभियन्ता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, भर्ती आयोग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
12. स्टेट एम.आई.एम. मैनेजर (IRGY) को भेजकर लेख है, कि आदेश को IRGY पोर्टल पर अपलोड की जाने बाबत्।
13. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव